भाकृअनुप– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून–248011
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011

पत्रांक 587 /5(2)/SCF/Store/FP/2017-18 दिनांक: 04.08.2023

गेहूं के भूसे का नीलामी नोटिस

इस संस्थान, के अनुसधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में लगभग **130 कुंतल गेहूं के भूसे की खुली नीलामी** दिनांकः **28.08.2023 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन** में की जायेगी। इच्छूक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते है। उपरोक्त मात्रा लगभग है यह कम अथवा ज्यादा हो सकती है जिसका आकलन बोली लगाने से पहले करने की जिम्मेदारी स्वंय बोलीदाता की होगी।

गेहूँ के भूसे की नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैः--

1. गेहूं के भूसे की खुली नीलामी दिनांकः 28.08.2023 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 10.30 बजे नीलामी में उपस्थित होगें उन्हे ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11.00 बजे के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन मे प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
2. गेहूं के भूसे की खुली नीलामी जैसा है जहां है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात गेहूं के भूसे की मात्रा एंव गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नही किया जायेगा।
3. इच्छूक बोलीदाता गेहूं के भूसे का निरीक्षण कार्य दिवस में दिनांक 05.08.2023 से 25.08.2023 तक 10:00 बजे से 4:00 के बीच कर सकते है।
4. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले ई0एम0डी. की धनराशि रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष हो अथवा नकद रूप में जमा कराना होगा। ई0एम0डी. की धनराशि जमा नही कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी। इसके साथ वह अपने आधार कार्ड एव बैंक की पास बुक की प्रति भी प्रस्तुत करेंगें।
5. एक ई0एम0डी की धनराशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. असफल बोली दाता को ई0एम0डी0 की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की ई0एम0डी संस्थान में धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा जिसे पूर्ण रूप से भूसा उठाने की अन्तिम तिथि के 60 दिवस के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। ई0एम0डी0 की धनराशि पर कोई व्याज देय नही होगा।
7. नीलामी मे उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष मे अनुमोदित की जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त प्रश्चात उसी दिन व शेष 75 प्रतिशत धनराशि सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन के पश्चात् सात दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा **NEFT/RTGS** के माध्यम से संस्थान के खाते में जमा कराना होगा।
9. सफल बोलीदाता को शेष धनराशि दी गयी तिथि के भीतर जमा नही कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रदद मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(हस्ताक्षर) 04/08/2023

सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।

10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात नीलामी किये गये गेहूं के भूसे को 30 दिवस के अन्दर अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर ले जाना होगा, गेहूं के भूसे को उठाने की अन्तिम तिथि नीलामी ठेका आंवटन आदेश में लिखं दी जायेगी। तथा नीलामी के पश्चात नीलाम किये गये गेहूं के भूसे को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगायें जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक/प्रक्षेत्र सुरक्षा अधिकारी को जमा करानी होगी।

12. सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये समय में गेहूं का भूसा न उठाने पर कुल नीलामी राशि के आधा (½) प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनेल्टी /गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पेनेल्टी भुगतान के साथ माल उठाने की अधिकतम सीमा 10 दिवस होगी, इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रदद कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एंव शेष बचे माल यदि कोई रहा हो को भी जब्त कर लिया जायेगा। जिसके लिए बोलीदाता स्वय पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा भूसे को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य–दिवस में प्रातः 09–00 बजे से 05–00 बजे के बीच ही कराना होगा ।
14. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई मे होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जायेगी।
15. नीलाम किये गये भूसे के प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने के दौरान सफल बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारी अथवा वाहन को होने वाले किसी भी क्षति की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
16. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
17. निदेशक, भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एंव जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रकिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रदद करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

04/08/2023

प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई